

“पंडित दीनदयाल उपाध्याय
अन्वोदय सम्बल पखवाड़ा-2025”

प्रपत्र-6

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) केम्प - पद्मना

—: आदेश :-

प्रार्थी के “खाता दुरुस्ती” प्रार्थना पत्र एवं पटवारी पद्मना
व भूअनि पद्मना की रिपोर्ट तथा अप तहसीलदार गिलुण्ड
तहसीलदार — की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम
1955 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम सोनियाणा अप तहसील गिलुण्ड व
जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संवत् 2077 में खाता संख्या 84 में
वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल
दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01	सोनियाणा	84	दुर्गा जानि कोला	दुर्गा देवी जानि-रेगार

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर

क्रमांक:- 251
प्रतिवृत्ति :-

दिनांक - 9/10/25

1. तहसीलदार को नेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावे।
2. प्रार्थी श्री को सूचनाएँ।
3. रक्षित पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर